न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 144/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/136
दायर दिनांक :– 19.07.2024 निर्णय दिनांक :– 18.03.2025

1. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. पप्पुदेवी पत्नी मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. मांगीलाल पुत्र धलुराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
5. सुरेन्द्र पुत्र मांगीलाल नाबालिग जरिये संरक्षक वलीया माता पपुदेवी पत्नी मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. मनोहरलाल पुत्र सालुराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. रामनिवास पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. रामप्रताप पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
5. समदी पत्नी मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
6. हरिराम पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
7. फरसाराम पुत्र रेशमाराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
8. बैबी पत्नी फरसाराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
9. ग्राम पंचायत मोडकिया पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री विजय तंवर अधि. अप्रार्थी सं. 2 ता 6

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 172/2 रकबा 15.0138 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 172/1 रकबा 13.7998 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 172/3 रकबा 1.2141 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 15.3295 हैक्टेयर सरहद मौजा मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू (जोधाणी) तहसील बाप में स्थित है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 का उक्त वादग्रस्त भूमि अपना–अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है लेकिन पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

एंव प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 की खातेदारी की भूमि के नक्शा में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरित कर दी, कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 172/2 रकबा 15.0138 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172/1 रकबा 13.7998 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172/3 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172 रकबा 15.3295 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है नामान्तरकरण संख्या 598 मौजा मोडकिया की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार ही वर्तमान ऑनलाईन तरमीम भू–नक्शा में अंकित है। वर्तमान तरमीम मौके पर खातेदारों के कब्जा व काश्त अनुसार होने से वर्तमान तरमीम को परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/25

(सुखराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)